

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज

श्री १०५२ आम्बादेव वि. वि.

क्र. नं. - 186/2009

04.03.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सख्या 2, 6, 8, 9 की तामील हेतु आदिनांक तक भी सम्मन तलवाना पेश नहीं किया गया है जबकि वकील प्रार्थीगण को सम्मन तलवाना पेश करने बाबत कई बार हिदायत दी जा चुकी है। अतः न्यायालय आदेशों की पालना नहीं की जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2009 को पारित अन्तरिम स्थगन आदेश को प्रभावहीन किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी वकुलाय उभय पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिती में प्रार्थना पत्र अस्थान निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

